आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 710/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, एसएमई जयपुर दक्षिण, 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स सर्वश्रेष्ठ इण्डस्ट्रीज एल.एल.पी.,
   पताः– 29/30, लक्ष्मी विहार, करतारपुरा, स्वेज फार्म, सोडाला, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 111/396, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर।
2. श्रीमती उमा अग्रवाल पत्नी श्री रामअवतार अग्रवाल,
   पता– प्लॉट नं. बी–1, गोविन्द नगर पश्चिम द्वितीय स्कीम, अनुपम रेस्टोरेन्ट, ब्रह्मपुरी पुलिस थाने के पास, आमेर रोड़, जयपुर।
3. श्री विपुल कुमार जैन पुत्र श्री विजय कुमार जैन,
   पता– गुढ़ा रोड, एम.एम. कोर्ट के पीछे, बांदीकुई, जिला दौसा।
4. श्रीमती मनीषा अग्रवाल पत्नी श्री राकेश अग्रवाल,
   पता– मकान नं. 570, विवेक विहार, अहिंसा पार्क के सामने, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर।
5. श्री रामअवतार अग्रवाल पुत्र श्री रतन लाल अग्रवाल,
   पता– प्लॉट नं. बी–1, गोविन्द नगर पश्चिम द्वितीय स्कीम, अनुपम रेस्टोरेंट, ब्रह्मपुरी पुलिस थाने के पास, आमेर रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) • जिला जयपुर (राज.) •

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :–

1. श्री दिपेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 28.11.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.11.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती उमा अग्रवाल एवं श्री रामअवतार अग्रवाल के संयुक्त स्वामित्त्व संपत्ति प्लॉट नं. बी–3, गोविन्द नगर पश्चिम द्वितीय स्कीम, अनुपम रेस्टोरेन्ट, ब्रह्मपुरी पुलिस थाने के पास, आमेर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 431.02 वर्गगज को बंधक रख कर एवं 111/396, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर पर स्थित ऑल प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर करेन्ट असेट ऑफ कम्पनी, ऑल फिक्स्ड असेट इन्क्ल्यूडिंग प्लान्ट एण्ड मशीनरी ऑफ कम्पनी को हाइपोथिकेट कर को कुल राशि 02,81,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.08.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक एवं हाईपोथिकेटेड उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 02,81,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 01,82,46,307.40/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.08.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक/हाइपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में हाईपोथिकेट की गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती उमा अग्रवाल एवं श्री रामअवतार अग्रवाल के संयुक्त स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. बी–3, गोविन्द नगर पश्चिम द्वितीय स्कीम, अनुपम रेस्टोरेन्ट, ब्रह्मपुरी पुलिस थाने के पास, आमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 431.02 वर्गगज एवं 111/396, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर पर स्थित हाइपोथिकेटेड संपति ऑल प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर करेन्ट असेट ऑफ कम्पनी, ऑल फिक्स्ड असेट इन्क्ल्यूडिंग प्लान्ट एण्ड मशीनरी ऑफ कम्पनी का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर